

निशुल्क विज्ञापन हेतु

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ23(13)लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/06/ ।।।९ दिनांक ।।।०

प्रेस विज्ञप्ति

विषय :— वर्ष 2010-11 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 30-09-10 तक बढ़ाने बाबत।

कालेज शिक्षा विभाग, द्वारा दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2010 तक बढ़ाई जाती है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें।

1. प्रवेश शुल्क की रसीद, 2. अंक तालिका की प्रमाणित प्रति 3. आय प्रमाण पत्र
4. छात्रावास के शुल्क की रसीद (छात्रावासी होने पर) 5. छात्र का बैंक खाता सं., बैंक का मायकर नं., बैंक का नाम, पता तथा पास बुक की फोटो प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।

आवेदन फार्म एवं अन्य जानकारी विभाग की वैबसाईट <http://www.collegeeducation.gov.in> पर उपलब्ध है।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान

जयपुर

M. ।।।० - ।।।९ दिनांक ।।।०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 निदेशक जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को 8 प्रतियो सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका निशुल्क प्रकाशन राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावें।
- 2 निदेशक दूरदर्शन केन्द्र जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है।
- 3 निदेशक आकाशवाणी जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा सचिवालय जयपुर।
- 5 निजी सचिव आयुक्त कालेज शिक्षा महोदय जयपुर।
- 6 संयुक्त निदेशक (अकादमी) कालेज शिक्षा जयपुर।
- 7 सम्पादक राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान के समस्त समाचार पत्र संस्करणों में प्रसारित करावें।
- 8 समस्त प्राचार्य, राजकीय, मान्यता प्राप्त, गैर राजकीय महाविद्यालयों, प्राचार्य संगीत संस्थान/राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर।
- 9 समस्त विश्वविद्यालय, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर कोटा और अजमेर तथा वनरथली (टोक)।
- 10 समस्त सहायक निदेशक कालेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और ~~जोधपुर~~ को प्रेषित कर लेख है कि आपके क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों को सूचित करावें।

१२
संयुक्त निदेशक छात्रवृत्ति
कालेज शिक्षा, राज. जयपुर